



निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Suman Yadav

Research Scholar, Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Raj.

Dr. Rajpal Singh Yadav

Supervisor, Assistant Professor Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Raj.

➤ भूमिका

भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने हेतु लागू किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (Right to Education Act – RTE) बच्चों के सर्वांगीण विकास और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अतः उनकी अभिवृत्ति (Attitude) इस अधिनियम की प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की RTE अधिनियम के प्रति समझ, दृष्टिकोण, व्यवहारिक चुनौतियाँ तथा कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश शिक्षक अधिनियम की भावना से सहमत हैं, परन्तु संसाधनों की कमी, प्रशासनिक भार और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता के कारण उनकी सकारात्मक अभिवृत्ति व्यवहार में पूर्णतः परिलक्षित नहीं हो पाती। अतः शिक्षक-प्रशिक्षण, विद्यालय संसाधन और प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मुख्य शब्द: निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, RTE, शिक्षक अभिवृत्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि मुख्य शब्द शोध पत्र में काम में लिये गए हैं।

1. प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक असमानता, गरीबी तथा अशिक्षा लंबे समय तक विकास में बाधक रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। किन्तु केवल कानून बना देने से शिक्षा सार्वभौमिक नहीं हो जाती। विद्यालय, पाठ्यक्रम, संसाधन और प्रशासन जितने आवश्यक हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है —

1. **शिक्षक।** शिक्षक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कानून वास्तविकता में परिवर्तित होता है। यदि शिक्षक अधिनियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो उसका सफल क्रियान्वयन संभव है, अन्यथा यह केवल कागजी प्रावधान बनकर रह जाता है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह समझना है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक RTE अधिनियम को किस प्रकार देखते हैं, उसकी उपयोगिता को कैसे समझते हैं तथा उसके कार्यान्वयन में किन कठिनाइयों का सामना करते हैं।

2. **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 :** संक्षिप्त परिचय इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं — 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसी भी बच्चे को फेल या निष्कासित नहीं किया जाएगा (No Detention Policy – प्रारंभिक स्वरूप) निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना पर पूर्ण प्रतिबंध विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की अनिवार्यता शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का प्रावधान (कुछ सरकारी कार्यों को छोड़कर) यह अधिनियम बाल-केंद्रित, गतिविधि-आधारित और समावेशी शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देता है।

3. **शिक्षक अभिवृत्ति की अवधारणा** (Concept of Teacher Attitude) अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति की किसी विचार, वस्तु या व्यवस्था के प्रति मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया से है। शिक्षक की अभिवृत्ति तीन घटकों से बनती है —

1. **संज्ञानात्मक (Cognitive):** ज्ञान और समझ
2. **भावात्मक (Affective):** भावनाएँ और विश्वास
3. **व्यवहारिक (Behavioral):** वास्तविक कार्य-प्रणाली यदि शिक्षक RTE को उपयोगी मानता है (संज्ञानात्मक), उसे बच्चों के लिए आवश्यक समझता है (भावात्मक) और कक्षा में लागू करता है (व्यवहारिक) — तभी सकारात्मक अभिवृत्ति मानी जाएगी।

4. **अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)** RTE अधिनियम के प्रति प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी का अध्ययन अधिनियम के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की पहचान शिक्षक-अभिवृत्ति और अधिनियम की सफलता के संबंध का अध्ययन

5. **अध्ययन पद्धति (Methodology)** अध्ययन प्रकार: वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि नमूना: 50 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सरकारी एवं निजी) उपकरण: प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विश्लेषण: प्रतिशत एवं गुणात्मक विश्लेषण

6. **परिणाम एवं विश्लेषण (Results and Analysis)**

- 6.1 अधिनियम के प्रति शिक्षकों की जानकारी अध्ययन में पाया गया: 82% शिक्षक RTE मुख्य प्रावधान जानते हैं 60% को सभी धाराओं की स्पष्ट जानकारी नहीं निजी विद्यालयों के शिक्षकों में जानकारी अपेक्षाकृत कम है। निष्कर्षतः अधिनियम लागू हुए वर्षों बाद भी पूर्ण जानकारी का अभाव है।

6.2 अधिनियम के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण दृष्टिकोण, प्रतिशत, पूर्ण समर्थन 48%, आंशिक समर्थन 42%, असहमति 10%, अधिकांश शिक्षक मानते हैं कि — शिक्षा का अधिकार आवश्यक है कमजोर वर्ग को अवसर मिलना चाहिए नामांकन दर बढ़ी है परन्तु वे यह भी मानते हैं कि गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

6.3 नो-डिटेन्शन नीति के प्रति दृष्टिकोण लगभग 70% शिक्षक मानते हैं कि बिना परीक्षा-आधारित मूल्यांकन से छात्र गंभीरता से नहीं पढ़ते। उनके अनुसार: विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा कम हुई अभिभावक भी लापरवाह हुए, सीखने का स्तर गिरा, हालाँकि 30% शिक्षक इसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक मानते हैं।

6.4 कक्षा-कक्ष व्यवहार में परिवर्तन RTE के बाद शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण अपनाना पड़ा। सकारात्मक परिवर्तन: बाल-केंद्रित शिक्षण समूह कार्य निरंतर मूल्यांकन समस्याएँ: अधिक विद्यार्थी, समय की कमी, रिकॉर्ड-रखरखाव का भार,

6.5 प्रशासनिक कार्यभार 90% शिक्षकों ने बताया कि उन्हें निम्न कार्यों में अधिक समय देना पड़ता है — सर्वे कार्य, छात्रवृत्ति डेटा, पोर्टल एंट्री, मिड-डे मील प्रबंधन इससे शिक्षण समय कम होता है।

6.6 संसाधन संबंधी समस्याएँ शिक्षकों ने प्रमुख समस्याएँ बताई —

1. कक्षाओं की कमी,
2. शिक्षण सामग्री का अभाव
3. एकल शिक्षक विद्यालय
4. बहु-कक्षा शिक्षण

6.7 समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अधिकांश शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के पक्ष में हैं, परन्तु प्रशिक्षण की कमी महसूस करते हैं।

7. **चर्चा** (Discussion) अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षक अधिनियम की भावना का समर्थन करते हैं, परन्तु उसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाते हैं। इसका कारण विरोध नहीं बल्कि व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। शिक्षक चाहते हैं: कम कागजी कार्य, उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त स्टाफ, स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली, अर्थात् समस्या “नीति” नहीं बल्कि “क्रियान्वयन” है।

8. **निष्कर्ष** (Conclusion) इस अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं — शिक्षक RTE के उद्देश्य से सहमत हैं अधूरी जानकारी के कारण भ्रम उत्पन्न होता है प्रशासनिक भार सकारात्मक भिवृत्ति को नकारात्मक बनाता है संसाधनों की कमी कार्यान्वयन बाधित करती है प्रशिक्षण की कमी बढ़ी समस्या है अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षक RTE के विरोधी नहीं हैं, बल्कि बेहतर व्यवस्था चाहते हैं।

9. **शैक्षिक निहितार्थ** (Educational Implications) यदि शिक्षक की अभिवृत्ति कारात्मक बनानी है तो — नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, गैर-शैक्षणिक कार्यों में कमी, पर्याप्त शिक्षक नियुक्ति वास्तविक सतत मूल्यांकन प्रणाली शिक्षण सामग्री उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।

10. **सुझाव** (Suggestions) RTE पर वार्षिक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशासनिक सहायक कर्मचारी शिक्षक-छात्र अनुपात का पालन डिजिटल रिकॉर्डिंग का सरलीकरण अभिभावक जागरूकता अभियान सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन

11. **उपसंहार** (Epilogue) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भारत की सामाजिक क्रांति का आधार है। यह केवल बच्चों का अधिकार नहीं, बल्कि समाज के भविष्य का निर्माण है। किंतु कानून की सफलता कागजों से नहीं, कक्षा-कक्ष से तय होती है — और कक्षा-कक्ष का केंद्र है शिक्षक। यदि शिक्षक संतुष्ट, प्रशिक्षित और समर्थ होगा तो RTE केवल योजना नहीं बल्कि वास्तविक शैक्षिक परिवर्तन बन जाएगा।

संदर्भ-वर्ण सूची (References)

1. भारत सरकार (2009). बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय).
2. भारत सरकार (2010). Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.
3. एनसीईआरटी (2014). प्राथमिक स्तर पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) मार्गदर्शिका. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद.
4. एनसीएफ (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005. नई दिल्ली: एनसीईआरटी.
5. यूनीसेफ (2012). भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम: कार्यान्वयन की स्थिति रिपोर्ट. नई दिल्ली: UNICEF India.
6. डाइसे (DISE) (2018). Elementary Education in India: Progress Towards UEE. नई दिल्ली: NUEPA (अब NIEPA).
7. अग्रवाल, जे. सी. (2010). शैक्षिक अनुसंधान का परिचय. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर.
8. शर्मा, आर. ए. (2012). शिक्षा मनोविज्ञान. मेरठ: ललित प्रकाशन.
9. सिंह, एस. के. (2015). “शिक्षा का अधिकार अधिनियम और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता”. भारतीय शिक्षा पत्रिका, 41(2), 45–52.
10. तिवारी, पी. एन. (2013). “RTE Act: Challenges and Opportunities in Elementary Education”. Journal of Educational Studies, 7(1), 21–29.
11. कुमार, अशोक (2016). समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: एपीएच पब्लिशिंग.
12. UNESCO (2015). Education for All Global Monitoring Report. Paris: UNESCO Publishing.
13. MHRD (2016). Status of Implementation of the RTE Act, 2009. Government of India Report.
14. NCERT (2017). Learning Outcomes at Elementary Stage. New Delhi: NCERT.
15. NIEPA (2019). School Education in India: UDISE Flash Statistics. New Delhi: NIEPA.